न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

इमामुद्दीन अन्सारी बनाम अहमद हुसैन वगै०

वाद संख्या –152 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
15/12/23	आदेश अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा– कुबरी, थाना– बिरनी, अंचल– बिरनी, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 18, प्लॉट न०– 2, रकवा– 36 डी०, चौहद्दी– उ०– नदी, द०– नीज प्रथम पक्ष, पू०– डॉक्टर नवी, प०– कलीम अन्सारी एवं नवी पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अंचल अधिकारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया की उक्त भूमि गैरमजरूआ खाते की भूमि है, जो किस्म जमीन परती है जिसका उपयोग कुबरी गाँव के आम नागरिक अडवार एवं बच्चों के खेल–कुद के मैदान के रूप में वर्षो से करते चले आ रहें हैं। उक्व वाद की भूमि को द्वितीय पक्ष अपना बता कर बजबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं एवं निर्माण कार्य करने के लिए नीव की खुदाई करने लगे जिसके परिणाम स्वरूप विवाद हो गया एवं प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में वाद लाया गया जिस पर प्रथम पक्ष के अलावे अन्य ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि द्वितीय पक्ष को इनकर्ब्ड स्टेट हजारीबाग से हुक्मनामा के माध्यम से प्राप्त है एवं द्वितीय पक्ष के नाम से राजस्व रशीद भी निर्गत होता आ रहा है एवं द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष के द्वारा गलत मुकदमा दायर कर द्वितीय पक्ष को परेशान किया जा रहा है इसलिए वाद खारिज करने योग्य हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। 1. हुक्मनामा की छयाप्रति। 2. ऑनलाइन पंजी–*II* की छायाप्रति। 3. सरकारी राजस्व रशीद की छायाप्रति। अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में बतलाया गया है वाद की भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है एवं किस्म जमीन परती पत्थर दर्ज है। वाद की भूमि पर ग्रामीण खेल मैदान के रूप में प्रयोग करते आ रहें हैं। किसी भी पक्ष का जमाबंदी पंजी–*II* पर संचालित नहीं है एवं किसी भी पक्ष के दखल कब्जा की पुष्टि नहीं किया गया है। उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नागत भूमि गैरमजरूआ किस्म की भूमि है तथा किसी भी पक्ष का जमाबंदी कायम नहीं रहने का प्रतिवेदन अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा दिया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सरकारी है। अंचल अधिकारी, बिरनी को निदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत हुकुमनामा तथा अन्य रसीद की विधिवत जाँच करते हुए नियमानुकूल कार्यवाई सुनिश्चित करेंगें। चुँकि प्रश्नगत भूमि	

गैरमजरूवा खाते की है तथा अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार किसी भी पक्ष की जमाबंदी कायम नही है।

अतः उक्त वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नही होगा। संबंधित पक्ष चाहे तो विवाद के निपटारे के लिए सक्षम न्यायालय जा सकते है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

पुनश्चः चुँकि वाद की भूमि गैरमजरूवा खास प्रकृति की है तथा अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन में दखल–कब्जा की स्थिति अस्पष्ट है। साथ ही जमाबंदी के बिन्दु पर भी प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि किसी पक्ष की जमाबंदी कायम नही है।

अतः उक्त वाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 में परिणत करने के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

18/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

18/12/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:38:00 +05:30
Location: 192.168.1.3